कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राज0 बीकानेर

क्रमांक शिविरा / माध्यमिक / [illegible] / 2004 दिनांक 28.6.2004

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा(केन्द्र--2)सामुदायिक विभाग
प्रीत विहार, विकास मार्ग,नई दिल्ली

विषयः-- सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण--पत्र जारी करने के क्रम में ।

महोदय,

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प014(8)शिक्षा--1/99पार्ट--I जयपुर, दिनांक 28.6.04 के द्वारा अनुमोदन पश्चात निर्देशानुसार निम्न विद्यालय को उसके सामने अंकित माध्यम एवं शिक्षा सत्र से सम्बद्धता हेतु निर्धारित समस्त मानदण्डों की पूर्ति करने की शर्त पर माध्यमिक स्तर में आपके बोर्ड द्वारा यदि सम्बद्धता प्रदान की जाती है तो इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी । आप द्वारा सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर एक प्रति इस कार्यालय को भी भिजवाने का श्रम करें :--

क.सं.	विद्यालय का नाम	वर्तमान स्तर	माध्यम	एन0ओ0सी0 जारी करने का सत्र
1.	दिल्ली पब्लिक स्कूल, अजमेर रोड भांकरोटा जयपुर	उ0प्रा0वि	अंग्रेजी	2004--05

भवदीय,

(एच0के0डामोर)
निदेशक,मा0शि0राज0बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

1. उप शासन सचिव,शिक्षा(ग्रुप--1)शासन सचिवालय,जयपुर
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज0 अजमेर
3. निदेशक, प्रा0शि0राज0 बीकानेर
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,जयपुर
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. प्रभारी,अ--4,माध्यमिक अनुभाग
7. रक्षित पत्रावली ।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा

PRINCIPAL
DHARAV HIGH SCHOO
AJMER ROAD, JAIPUR-3020

विद्यालय - DELHI PUBLIC SCHOOL JAIPUR (P44787) आवेदन क्रमांक : 51120

मान्यता कोड : RJJAI35251

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक JAIPUR , राजस्थान

क्रमांक: DEO (HQ) Sec/JPR/L-5/24-25/1442 दिनांक 07-01-2025

सचिव

प्रबंध समिति

DELHI PUBLIC SCHOOL JAIPUR

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 51120 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, DELHI PUBLIC SCHOOL JAIPUR पता N.H.48, AJMER ROAD, BHANKROTA, JAIPUR ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय SANGANER CITY(Greater Jaipur) ब्लॉक SANGANER CITY(U) आसा पासा (पूर्व -पश्चिम,उत्तर दक्षिण) BHANKROTA, JAIPUR खसरा न. 301,302,173,174 को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ :-

नाम परिवर्तन के लिए विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय का नाम	DELHI PUBLIC SCHOOL JAIPUR
स्वीकृत नवीन नाम	DHARAV HIGH SCHOOL JAIPUR

07/1/25
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक जयपुर

PRINCIPAL
DHARAV HIGH SCHOOL
AJMER ROAD, JAIPUR-302026

विद्यालय - DELHI PUBLIC SCHOOL JAIPUR (P44787) आवेदन क्रमांक : 51120

मान्यता कोड : RJJAI35251

1. विद्यालय के नवीन मान्यता / क्रमोन्नति के आवेदनों के सम्बन्ध में भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही विद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर की जावेगी। शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में संस्था संचालक की जिम्मेवारी होगी कि जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है, वहां स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय आदि) से स्वयं नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही विद्यालय का संचालन करें।
2. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
4. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यत पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाएँ/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
6. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
7. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
8. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाऐंगे।
9. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाऐं प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाऐं संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
10. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।
11. गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीडन नहीं किया जावेगा। ऐसा आरोप प्रमाणित होने पर सम्बन्धित गैर सरकारी विद्यालय के विरूद्ध मान्यता/क्रमोन्नति वापिस लिए जाने की कार्यवाही की जावेगी।
12. Emblems and Name (Prevention of improper use) Act 1950 के तहत विद्यालय के नाम में इंटरनेशनल, इण्डियन, नेशनल, राष्ट्रीय प्रतीक एवं ध्वज, सेना/सैनिक इत्यादि शब्दो का प्रयोग नही किया जा सकता है, अतः विद्यालयों नाम में इनका प्रयोग नही किया जावें, यदि विद्यालय के नाम में उक्त का अंकन है तो संस्था/विद्यालय को नाम परिवर्तन हेतु आगामी सत्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक जयपुर
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक
जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, विकास न्यास, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड, आदि) को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि संस्था / विद्यालय भूमि के भूरूपान्तरण के सम्बन्ध में प्रचलित विभागीय शर्तो का स्वयं के स्तर पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करें।
5. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक जयपुर
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक
जयपुर